

कार्यालय अंचल अधिकारी, काँके (राँची)।

नोटिस

विविध वाद संख्या- 01/2022-23

श्री नारायण तिवारी
पिता- स्व० रामनारायण तिवारी
ग्राम- ओरमांडी, थाना- ओरमांडी
जिला- राँची।

Shree N-r Tiwary

.....प्रथम पक्ष।

बनाम

1. श्री हरदया साहु
2. सामु साह
3. राजकुमार साहु
4. चतरगुन साहु
5. संजीत साहु
ग्राम- बोड़ेया, थाना- काँके,
जिला- राँची।

हरदया साहु
श्री राजकुमार साहु
बोली देवी साहिबि इका 7-4-022
7-4-2022

.....द्वितीय पक्ष।

दजरिये इस नोटिस के आपको सूचित किया जाता है प्रथम पक्ष श्री नारायण तिवारी के द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया है। प्रथम पक्ष के आवेदनानुसार मौजा- बोड़ेया, खाता सं०- 136, प्लॉट संख्या- 426, रकबा- 1.72 एकड़ एवं खाता सं०- 46, प्लॉट सं०- 426, रकबा- 1.88 एकड़ भूमि उनकी खतियानी भूमि है। जिसमें से मौजा- बोड़ेया, खाता सं०- 136, प्लॉट संख्या- 426, रकबा- 72 डी० एवं खाता सं०- 46, प्लॉट सं०- 426, रकबा- 88 डी० भूमि को उनके पूर्वजों के द्वारा विक्री किया गया है। प्रश्नगत भूमि की विक्री के पश्चात मौजा- बोड़ेया, खाता सं०- 136, प्लॉट संख्या- 426, रकबा- 1.00 एकड़ एवं खाता सं०- 46, प्लॉट सं०- 426, रकबा- 1.00 एकड़ भूमि शेष है जिसकी जमाबंदी प्रथम पक्ष के पूर्वजों के नाम से चल रही थी। किन्तु वर्तमान में शेष भूमि मौजा- बोड़ेया, खाता सं०- 136, प्लॉट संख्या- 426, रकबा- 1.00 एकड़ एवं खाता सं०- 46, प्लॉट सं०- 426, रकबा- 1.00 एकड़ भूमि की जमाबंदी द्वितीय पक्ष के पूर्वज हीराराम साहु दगैरह के नाम से चल रही है। उक्त के आलोक में प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के पूर्वज हीराराम साहु दगैरह के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करते हुए प्रथम पक्ष ने अपने नाम से जमाबंदी कायम करने का अनुरोध किया है।

उक्त के आलोक में आपको निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 14/05/22 को प्रश्नगत भूमि के दावा से संबंधित मूल कागजात/दस्तावेज के साथ स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधोहरताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अंचल अधिकारी,
काँके, राँची
21/4/22